आदेश अधिकृत ...

को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

14.08.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि न्यायहित में अपील इस प्रकार स्वीकार की जाती है कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 107 बाबत ग्राम कुलीपुरा, तहसील बसेड़ी पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.07.2021 को लिये निर्णय को रद्द किया जाता है तथा नामान्तरकरण प्रकरण तहसीलदार बसेड़ी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे प्रकरण में पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर नामान्तरकरण को समुचित निर्णीत करें। पत्रावली फैसल शुमार कि जाकर नस्थी कि कर तकमील दाखिल दफ्तर हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाए।

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या0 1/24

1. भगवानसिंह पुत्र स्व0करनसिंह जाति ठाकुर निवासी पिपरौन तहसील बसेडी जिला धौलपुर ।

.................अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत पिपरौन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पिपरौन पं. स. बसेडी
2. शान्ति पत्नी भगवानसिंह जाति ठाकुर निवासी पूठपुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।
3. चन्द्रसेन पुत्र भगवानसिंह जाति ठाकुर निवासी पूठपुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।
4. गीता पुत्री भगवानसिंह जाति ठाकुर निवासी पूठपुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।
5. सुनीता पुत्री भगवानसिंह जाति ठाकुर निवासी पूठपुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर वहैसियत भू–स्वामी

.....................................रेस्पोडैन्ट्स

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.
वकील अपीलान्ट्स – श्री राजवीर सिंह परमार
अप्रार्थी – ग्राम पंचायत पिपरौन

दिनांक 14.08.2025

निर्णय

हस्तगत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम पिपरोन का निवासी है। उसकी आराजी ग्राम पिपरौन के अलावा तुर्सीपुरा में भी स्थित है जिसके ख0न0 1958 रकवा 0.27 है0 ख0न0 1959 रकवा 0.20 है0 ख0न0 1960 रकवा 0.27 है0ख0न0 802 रकवा 0.63 है0 व इसी प्रकार ख0न0 1926 रकवा 0.02 है0 ख0न0 1927 रकवा 0.08 है0 ख0न0 1929 रकवा 0.30 है0 जो कि सभी खसरा नम्बर तुर्सीपुरा में स्थित है इसी के साथ ही तुर्सीपुरा में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पति व 3 लगायत 5 के पिता के नाम से आराजी खसरा नम्बर 2657 रकवा 0.47 है0 व ख0न0 2658 रकवा 0.47 है0 स्थित है उक्त रेस्पोडेन्ट के पिता भगवानसिंह पुत्र करनसिंह व जाति भी ठाकुर थी परन्तु निवास पूठपुरा था जबकि अपीलांन्ट का निवास पिपरौन है रेस्पोडेन्ट का निवास पिपरौन है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा अपने पिता व पति भगवानसिंह व जाति ठाकुर निवासी पूठपुरा की मुत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण खुलवाने बावत् आवेदन किया जिसका नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 27.07.2021 ग्राम तुर्सीपुरा में राजस्व कर्मचारियों द्वारा खोला गया परन्तु मृतक व अपीलांन्ट का नाम पिता के नाम व जाति की समरूपता होने के कारण भूलवश कम्प्यूटर की तकनीकी खामी की बजह से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के साथ –साथ अपीलान्टं की भी आराजी के उक्त ख0न0 पर भी बाई मिस्टेक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 का नाम चढ गया जो गलत है जो कम्प्यूटर की तकनीकी खामी व नाम पिता का नाम व जाति की समरूपता की बजह से हुआ है जिसकी जॉच व फैसल करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गहनता से जॉच नही की और उसे गलत ही फैसल कर दिया जो विधि विरूद्व है ग्राम पंचायत के उक्त फैसले से असन्तुष्ट होकर अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्न आधारो पर यह अपील प्रस्तुत करता हैं कि नामान्तरण संख्या 707 ग्राम पिपरौन खिलाफ कायदा कानून व नियम विरूद्व होने से लायक खारिजी के है कि ग्राम पंचायत पिपरौन द्वारा नामान्तकरण संख्या 707 सात सो सात का

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

फैसल करते समय यह भी ध्यान नही दिया कि रेसपोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा अपने खाते पर ही नामान्तकरण खोलने हेतु निवेदन किया था जबकि ग्राम पंचायत को गहनता से यह जॉच करनी चाहिए थी यदि भूल कम्प्यूटर खामी के व नाम पिता के नाम व जाति की समरूपता होने के कारण भूलवश हुयी है जबकि अपीलान्ट पूर्व में कई बार ग्राम पंचायत पिपरौन का सरपंच रह चुका है ग्राम पंचायत पिपरौन द्वारा बिना जॉच किये ही नामान्तकरण फैशल कर दिया जो अवैध गैर कानूनी होने से लायक खारिजी के है अपीलांन्ट ग्राम पिपरौन में रहने व जीवित होने के कारण व ग्राम पंचायत की इतनी बडी भूल का आदेश न होने के कारण उसें नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 22.07.2021 की जानकारी समय से नही हो सकी अब वह अपनी आराजी की नकल लेने ग्राम तुर्सीपुरा के पटवारी के पास गया तो पता चला कि उसकी आराजी पर रेस्पोडेन्टं संख्या 2 लगायत 5 का नामान्तरकरण खोल दिया गया है जबकि अपीलांन्ट आज भी जीवित है यह जानकारी में आते ही अविलम्व पटवारी हल्का से नामान्तकरण संख्या 707 की नकल प्राप्त कर अपील न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है अपील के बिलम्व में अपीलान्टं ने जान बूझकर कोई लापरवाही (गलती) नही की है बल्कि मजबूरी हुयी है इसलिये उक्त अपील को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को अन्दर अवधि माना जावे।

प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:-

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 707 को निरस्त कर पुन मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाया जावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 लगायत 5 बाबजूद सूचना के हाजिर अदालत न होने पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी 1 व 6 बाबजूद सूचना के हाजिर अदालत उपस्थित नही हुए।

वकील प्रार्थी के एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 707 दिनांक 22.07.2021 को अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 707 दिनांक 22.07.2021 अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट से है कि प्रार्थी/अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रकरण के समग्र अवलोकन करने पर न्यायिक हित में अपील इस प्रकार से स्वीकार की जाती है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सख्या 707 वाके ग्राम तुर्सीपुरा, तहसील बसेड़ी पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.07.2021 को किये निर्णय को रद्व किया जाता है तथा नामान्तकरण प्रकरण तहसीलदार बसेड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वे प्रकरण में पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण को समुचित निर्णित करें।

आज दिनांक 14.08.2025 को यह फैंसला मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner